Fund Commissioner, Dhanbad had appointed a larger number of staff without the sanction of the Government of India ; and

(b) if so, how those cases are being regularised ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) and (b). The administration of the Coal Mines Provident Fund is the concern of the Board of Trustees set up under the Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act, 1948 and is not the direct concern of the Central Government. The Coal Mines Provident Fund authorities have reported that the former Coal Mines Provident Fund Commissioner had appointed some staff without the approval of the Board of Trustees and that the Question of regularising these appointments, is under consideration.

Zonal Inspectorate Offices under E.P.F. Organisation

7067. SHRI R. P. YADAV : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the numbers of Zonal Inspectorate Offices opened in all the regions under the Employees Provident Fund Organisation with names of the places and number of the staff, region-wise ;

(b) whether there is a proposal under consideration for construction of permanent office buildings of the Inspectorates with residential quarters in different places ; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) to (c). The administration of the Employees' Provident Fund is the concern of the Central Board of Trustees set up under the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 and is not the direct concern of the Government of India. The Provident Fund authorities have intimated that the required information is being collected from the Regional Offices. It will be laid on the table of the Sabha as early as possible.

Vacation of Official Residence by Ex-Coal Mines Provident Fund Commissioner, Dhanbad

7068. SHRI R. P. YADAV : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Ex-Coal Mines Provident Fund Commissioner in Dhanbad has not vacated the official quarter, although he has retired from the service more than a year ago ; and

(b) if so, the steps being taken to get the official residence of the Coal Mines Provident Fund Commissioner vacated ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : The administration of the Coal Mines Provident Fund is the concern of the Board of Trustees set up under the Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act, 1948 and is not the direct concern of the Central Government. The Coal Mines Provident Fund authorities have reported as under :—

(a) and (b). The former Coal Mines Provident Fund Commissioner was allotted the Fund's bungalow, He retired from service last year but has not yet vacated the bungalow inspite of being repeatedly asked to do so. It is proposed to take legal action for his eviction from the bungalow.

स्नातकोत्तर कृषि वैज्ञानिकों में बेरोजगारी

7069. **श्री रणबहादुर सिंह :**
श्री गंगा रेड्डी :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कृषि स्नातकोत्तर और पी० एच० डी० बेरोजगार हैं ;

(ख) क्या सरकार देश में ऐसे कृषि वैज्ञानिकों के बारे में कोई रिकार्ड रखती है जो अपने-अपने क्षेत्रों में विदेशों से अथवा देश में विशेषज्ञता प्राप्त करने के बाद भी बेरोजगार हैं ; और

(ग) उन्हें देश में अपने-अपने क्षेत्रों में समुचित कार्य प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा-साहिब पी० शिन्दे) : (क) 31 दिसम्बर, 1970 को रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में 542 कृषि स्नातकोत्तर थे। (बेरोजगार पी० एच० डी० वालों की संख्या उपलब्ध नहीं है)।

(ख) जी हां। परन्तु विदेशों से अथवा देश में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों के बारे में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) वर्ष 1969 में किये गये एक अध्ययन से यह पता चलता है कि चौथी योजना के दौरान, भारत सरकार, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी क्षेत्र में इस समय विभिन्न विस्तार तथा अनुसन्धान कार्यक्रमों में लगे हुए व्यक्तियों के अतिरिक्त, लगभग 3,000 कृषि स्नातकोत्तरों की आवश्यकता होगी।

इनके अतिरिक्त, सरकार को 5,000 कृषि-सेवा केन्द्र स्थापित करने की योजना है, जिनमें लगभग 50,000 स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमाधारी नियुक्त किये जाने की संभावना है। इनमें 10 से 15 प्रतिशत तक कृषि विशेषज्ञ होने की आशा है।

कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई अन्य विशेष योजनाओं (छोटे कृषकों का विकास अभिकरण सीमान्त कृषक, कृषि श्रमिक, ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, बारानी भूमि पर खेती, कमाण्डर क्षेत्र विकास और त्वरित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) से योजना, निर्माण तथा क्रियान्वित के लिये कृषि कार्मिक सहित तकनीकी और वैज्ञानिक मानव शक्ति की मांग बढ़ने की सम्भावना है, यद्यपि ये योजनायें मुख्य तौर पर अकुशल श्रमिकों, छोटे कृषकों आदि के लिये बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, इन योजनाओं के अप्रत्यक्ष लाभ से भी कृषि कार्मिक सहित रोजगार की ओर अधिक सम्भाव्यतायें बढ़ेंगी। सरकार शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी प्रदान करने के लिए 25 करोड़ रुपये वार्षिक की लागत से एक योजना प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस योजना को अन्तिम रूप देने के उपरान्त जब क्रियान्वित किया जायेगा, तो इससे कृषि स्नातकों और स्नातकोत्तरों को भी लाभ होने की सम्भावना है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक किसानों की ऋण सम्ब-धी आवश्यकतायें

7070. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कृषि उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किसानों को प्रतिवर्ष कितनी धन राशि के ऋणों की आवश्यकता होगी ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये किसानों को ऋण देने हेतु किन-किन संसाधनों से धन जुटाया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा-साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). चौथी योजना में कृषि ऋण की कुल मांग, जैसा कि अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति द्वारा अनुमान लगाया गया है, चौथी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए अल्पावधि ऋण 2,000 करोड़ रुपये तथा चौथी योजना के पाँच वर्षों के दौरान मध्यम तथा दीर्घावधि ऋण क्रमशः 500 करोड़ रुपये तथा 1,500 करोड़ रुपये है।

अनुमान लगाया गया है कि चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में सहकारी संस्थाओं द्वारा अल्प तथा मध्यम-कालीन ऋणों के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। योजना के 5 वर्षों के दौरान वाणिज्यक बैंकों से भी 400 करोड़ रुपये दिये जाने की सम्भावना है। योजनावधि के दौरान भूमि विकास बैंकों से 700 करोड़ रुपये दीर्घकालीन ऋणों के रूप में दिये जाने की आशा है। कृषि पुनर्वित्त निगम 200 करोड़ रुपये तक पुनर्वित्त की सुविधायें प्रदान करेगा। विश्व बैंक ऋण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के कारण, इस राशि के बढ़ाने